20/2/23 को पेश हो

12/7/23 पत्रावली प्रेमाराम वकील तथा अनुपस्थित है, उसके वकील कोई भी उपस्थित नहीं।

अतः सात दिन की अन्तिम तामील अन्तर्गत आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के तामील कराया जाता है। पत्र कोर्ट शुल्क होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज